जननी सुरक्षा योजना

भारत शासन से प्राप्त पत्र क्र. जेड.14012/2/2001 एनएमबीएस एवं 14018/2/2005 एनएमबीएस के अनुसार जननी सुरक्षा योजना के निर्देश तथा उसके पश्चात् हुये परिवर्तन के साथ मिले निर्देश प्राप्त हो चुके हैं, इसके अनुसार यह योजना प्रदेश में लागू कर दी गई है, दिशा निर्देश तथा धनराशी सभी जिलों को प्रसारित कर दिया गया है।

इस योजना के प्रमुख उद्‌देश्य है –

10. गरीबी रेखा के नीचे वाली माताओं को प्रसव के उपरांत मातृत्व लाभ।

11. संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देना।

12. प्रदेश की मितानिनों को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।

इस योजना से प्रमुख रूप से दो वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे–

13. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिला, जो उम्र में 19 वर्ष या उससे अधिक एवं जिसके दो से कम जीवित बच्चे हो या जिसके दो जीवित बच्चे हो या तीसरे प्रसव के दौरान बंध्याकरण की सहमति हो।

14. पारे अथवा मोहल्ले की मितानिन, जो उपरोक्त गर्भवती महिला का योजनानुसार देखभाल रखती हो।

लाभ –

15. उपरोक्तानुसार परिभाषित गर्भवती महिला को 500/– (पांच सौ रूपये) प्रसव के उपरांत दिये जायेंगे।

16. यदि वह ग्रामीण इलाके की महिला है एवं संस्थागत प्रसव कराती है, तो अतिरिक्त 200/– (दो सौ रूपये) या

17. यदि गर्भवती महिला शहरी क्षेत्र की है एवं संस्थागत प्रसव कराती है, तो अतिरिक्त 100/– (एक सौ रूपये) दिये जायेंगे। सभी राशि संस्था जहां प्रसव होगा दे दिया जाना है

इसके अतिरिक्त परिवहन खर्च निम्नानुसार दिये जायेंगे –

2. मितानिन को मोहल्ले में रहने वाली उपरोक्तानुसार परिभाषित गर्भवती महिला को संस्थागत प्रसव कराने में मदद करने के लिये रू. 200 की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इसके अतिरिक्त रू. 400/– मितानिनों को ले जाने का परिवहन खर्च दिया जायेगा, जिसमें वह गर्भवती महिला के साथ उसे संस्थागत प्रसव के लिये ले जाती है एवं वहां प्रसव के उपरांत उसकी देखभाल के लिये रूकती है।

3. केवल जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ही संस्थागत प्रसव के लिये माने जायेंगे। उपस्वास्थ्य केंद्र एवं आज तक की स्थिति में निजी अस्पताल, इस संस्थागत प्रसव से मिलने वाले लाभ के लिये मान्य नहीं होंगे। आगामी कुछ महिनों पश्चात् कुछ उप स्वास्थ्य केंद्रों को स्टाफ के प्रशिक्षण के पश्चात् संस्थागत प्रसव के लिये प्रमाणित किया जा सकेगा।

4. प्रत्येक जिला अस्पताल को रू.14000/– सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को रू.14000/– प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को, जो 24 घंटे प्रसव के लिये सुविधा प्रदान करते हैं, उन्हें रू.7000/– अग्रिम राशि के रूप में दिये जायेंगे।